

8. शैक्षणिक योग्यता - (शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	परीक्षा में सम्मिलित विषय/ विषय समूह का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्रतिशत
1	हाई स्कूल					
2	हायर सेकेण्डरी					
3	एम.ए. (ग्रामीण विकास)					
4	बी.ई./डिप्लोमा (सिविल)					
5	अन्य					

9. क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं ?(यदि हाँ तो प्रमाणपत्र संलग्न करें)

10. पत्राचार का पता -

.....(मो.नं.)

11. स्थायी पता -

.....

12. यदि आप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र/बेयर फुट टेक्नशियन/महिला स्वसहायता समूह के सदस्य तथा बैंक सखी/में सेवारत है तो निम्नलिखित प्रारूप को भरें एवं नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

कार्यरत पद का नाम	कार्यालय का नाम	कार्यरत अवधि कब से कब तक
1	2	3
	 सेतक
		(कुल अवधि)

13. वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित) -

14. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि -बच्चों की संख्या -

सभी बच्चों की जन्मतिथि -

15. अभ्यर्थी का घोषणा पत्र -

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन में बिन्दु क्रमांक 01 से 15 तक की दी गई सम्पूर्ण जानकारी सत्य है। किसी भी प्रकार की गलती या गलत जानकारी के कारण मुझे चयन प्रक्रिया से निष्काशित किया जा सकता है एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मैंने यह आवेदन सम्पूर्ण विज्ञापन को पढ़कर एवं समझकर भरा है। विज्ञापन में दिये गए नियमों के अनुसार मुझे आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन के पद पर आवेदन करने की पात्रता है, जिसे आवश्यकता होने पर प्रमाणित करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है।

स्थान :-

दिनांक :-

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

नाम -

नोट - आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी। उपरोक्त कंडिकाओं से संबंधित प्रमाण-पत्र ही संलग्न करें। संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को निम्नांकित क्रम में रखी जावे।

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

1. हाई स्कूल का प्रमाण पत्र
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल का प्रमाण पत्र
3. एम.ए. (ग्रामीण विकास)
4. बी.ई./डिप्लोमा
5. अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से (न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव मान्य)
6. अनापत्ति प्रमाण पत्र
7. छ.ग. निवासी प्रमाण पत्र
8. आधार कार्ड
9. पूर्व में कार्यरत आवास मित्र, महिला स्व-सहायता समूह (SHG) के सदस्य, बेयर फुट टेक्नीशियन (BFT) , बैंक सखी एवं अन्य अधीनस्थ अमले (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत) का नियमानुसार साक्ष्य ।